मु0न0:–108/2023

उनवानः– भरतसिंह बनाम ज्ञानसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 21.12.2023

मु0न0 108/2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

भरतसिंह पुत्र कानसिह उर्फ करणसिंह जाति गूर्जर निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. ज्ञानसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ करणसिंह जाति गूर्जर
2. गिरधारी पुत्र कानसिंह उर्फ करणसिंह जाति गूर्जर
3. बद्री पुत्र कानसिंह उर्फ करणसिंह जाति गूर्जर
4. बनीसिंह पुत्र कानसिंह उर्फ करणसिंह जाति गूर्जर
   निवासीयान कंजोली तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकट सायलान

निर्णय दिनांक 28.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 2228/0.24, 2229/0.52, 2229/2744/0.09, 2308/0.28, कुल किता 04 कुल रकवा 0.28 है0 ग्राम कंजोली मे सायल 21/160 जमाबन्दी है तथा दर्ज मृतक स्व0 करणसिंह उर्फ कानसिंह के हिस्से मे 3/16 मे से सायल 1/5 हिस्से के हिस्सेदार है। अतार्थ सायल 3/80 हिस्से का हिस्सेदार है। कुल हिस्सा सायल 27/160 है। जिसका सायल खातेदार एवं काश्तकार है। शेष हिस्सा गैरसायलागण मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत बटवारा नही हुआ है। इसलिये विधि अनुसार भूमि मुतनाजा के प्रत्येक इंच भू–भाग पर सायल एवं गैरसायलगण प्रत्येक फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार गैरसायलगण या दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का भूमि मुतनाजा मे नही है। फिर भी गैरसायलगण सायल को उसके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है। और आये दिन सायल के हिस्से की आराजी मे नाजायज प्रवेश कर उसको हडपने की फिराक मे रहते है। तथा किराये पर पानी देने वाले को बरगलाते रहते है।

बॉका दिनांक 13.12.2023 का है कि सायल अपने हिस्से की आराजी पर अपनी आराजी खेते की डोल मेड को देख रहा था तथा खेत मे पानी पिलाने के लिए पाईपा लाईन को देख रहा था। तथा खेत मे पानी पिलाने के लिए पाईपलाईन व क्योरियो को देखरहा था। तो गैरसायल न0 1 ता 2 एवं उसके बच्चे तथा अन्य जानकार एकराय होकर सायल के हिस्से की आराजी पर आये और सायल से कहा कि तुम्हारे हिस्से की आराजी को अब हम काश्त करेगे तुम्हारा इस आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। तुम इस आराज को आज के बाद काश्त मत करना इतना कहने पर सायल ने कहा कि तुम्हे कोई परेशानी है तो तहसील मे चलकर भूमि का विधिवत बटवारा करा लो। इतना सुनकर गैरसायल न0 1 व 2 नाराज हो गये। और विधिवत बटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया है। गैरसायलगण अपनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो सायल को भारी नुकसान हो सकेगा। गैरसायलगण आज [illegible] मे ही सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमदा है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि ग्राम कंजोली की आराजी आराजी ख0न0 2228/0.24, 2229/0.52, 2229/2744/0.09, 2308/0.28, कुल किता 04 कुल रकबा 0.28 है0 मे सायल के उपयोग उपभागे मे मजाहमत मदाखलत नही करे आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, सायल को बेदखल नही करे। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल 21/160 जमाबन्दी है तथा दर्ज मृतक स्व0 करणसिंह उर्फ कानसिंह के हिस्से मे 3/16 मे से सायल 1/5 हिस्से के हिस्सेदार है। अर्थात सायल 3/80 हिस्से का हिस्सेदार है। कुल हिस्सा सायल 27/160 है। जिसका सायल खातेदार एवं काश्तकार है। शेष हिस्सा गैरसायलागण मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत बटवारा नही हुआ है। इस प्रकार गैरसायलगण या दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का भूमि मुतनाजा मे नही है। फिर भी गैरसायलगण सायल को उसके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है। और आये दिन सायल के हिस्से की आराजी मे नाजायज प्रवेश कर उसको हडपने की फिराक मे रहते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम कंजोली की जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के ख0न0 2228/0.24, 2229/0.52, 2229/2744/0.09, 2308/0.28, कुल किता 04 कुल रकबा 0.28 है0 मे सायल 21/160 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसमे गैरसायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी। उक्त विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम कंजोली की आराजी ख0न0 2228/0.24, 2229/0.52, 2229/2744/0.09, 2308/0.28, कुल किता 04 कुल रकबा 0.28 है0 मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। सायल की खातेदारी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे ता दावा फैसला मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:12 IST
Reason: SelfAttested